न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

सत्र वाद सं०– 204/2021

सरकार बनाम मुफीद आदि।

अं० धारा– 363, 376, 120 बी भा०दं०सं०

व 3/4 पोक्सो अधिनियम

मु०अ०सं० 05/2021

थाना– धौलाना, जिला– हापुड़।

आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)

दिनांकः– 05.10.2021

पुकार कराई गई। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त मुफीद जेरे जमानत उपस्थित आया। अभियुक्तगण अबरार व सलमा जेरे हिरासत उपस्थित आए।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आरोप विरचन के बिन्दु पर बहस की गई। विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया, जिसके द्वारा उन्हें अभियोजन का पक्ष कथन सिद्ध करना है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त अबरार के विरुद्ध भा०दं०सं० की धारा 363, 376 व पोक्सो अधिनियम की धारा 3/4 एवं अभियुक्तगण मुफीद व सलमा के विरूद्ध भा०दं०सं० की धारा 363, 120 बी के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध हैं। अतः अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धारा के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दि० 21.10.2021 को पेश हो।

दिनांकः– 05.10.2021

(श्वेता दीक्षित)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

Digitally signed by Shweta Dixit
Date: 2021.10.07 12:20:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

सत्र वाद सं०– 204/2021

सरकार बनाम मुफीद आदि।

अं० धारा– 363, 376, 120 बी भा०दं०सं०

व 3/4 पोक्सो अधिनियम

मु०अ०सं० 05/2021

थाना– धौलाना, जिला– हापुड़।

आरोप

मैं, श्वेता दीक्षित, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़ एतद्द्वारा आप अभियुक्त अबरार को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करती हूं–

प्रथम– यह कि दिनांक 01.01.2021 को समय करीब 05.00 बजे बस्थान ग्राम पिपलैड़ा, थाना धौलाना, जनपद हापुड़ में आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा की अवयस्क पुत्री का अभिभावक की संरक्षता से व्यपहरण किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 363 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा की अवयस्क पुत्री का व्यपहरण कर उसके साथ बलात्संग किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 376 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

तृतीय–यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ने वादी की अवयस्क पुत्री का व्यपहरण कर उसके ऊपर प्रवेशन लैंगिक हमला किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य पोक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्त ने आरोपों को अस्वीकार किया और विचारण की मांग की।

दिनांकः– 05.10.2021

(श्वेता दीक्षित)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

अतएव एतद्द्वारा मैं, आपको आदेशित करती हूं कि उक्त आरोपों के लिए आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः– 05.10.2021

(श्वेता दीक्षित)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

सत्र वाद सं०– 204/2021

सरकार बनाम मुफीद आदि।

अं० धारा– 363, 376, 120 बी भा०दं०सं०

व 3/4 पोक्सो अधिनियम

मु०अ०सं० 05/2021

थाना– धौलाना, जिला– हापुड़।

आरोप

मैं, श्वेता दीक्षित, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़ एतद्द्वारा आप अभियुक्त मुफीद व सलमा को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करती हूं–

प्रथम– यह कि दिनांक 01.01.2021 को समय करीब 05.00 बजे बस्थान ग्राम पिपलैड़ा, थाना धौलाना, जनपद हापुड़ में आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा की अवयस्क पुत्री का अभिभावक की संरक्षता से व्यपहरण किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 363/120 बी के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्त ने आरोपों को अस्वीकार किया और विचारण की मांग की।

दिनांकः– 05.10.2021

(श्वेता दीक्षित)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

अतएव एतद्द्वारा मैं, आपको आदेशित करती हूं कि उक्त आरोपों के लिए आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः– 05.10.2021

(श्वेता दीक्षित)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।